

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.17(ई)ग्राविप/प्रशा.2/विका.यो./पंचा.शिविर/2016/ 3757 जयपुर,दिनांक: 16.09.2016


जिला कलक्टर,  
समस्त।

**विषय: पंचायत शिविर कार्यक्रम के सफल आयोजन बाबत।**

आप सबको विदित ही है कि राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर माह से ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पंचायत शिविर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम का नोडल विभाग पंचायती राज विभाग है। यह कार्यक्रम अब 14 अक्टूबर, 2016 से प्रारम्भ किया जायेगा तथा प्रत्येक शुक्रवार को हर पंचायत समिति की दो समीपस्थ ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। यह एक सतत कार्यक्रम है अतः प्रथम चरण में समस्त ग्राम पंचायतों पर शिविर आयोजित करने के पश्चात् यह चक्र पुनः प्रारम्भ होगा। इस विषय में पंचायती राज विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2775 दिनांक 30.06.2016 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में जारी कर दिये गये हैं। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के अतिरिक्त अब महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा राजस्व विभागों को भी जोड़ने का निर्णय लिया गया है व इसके दिशा-निर्देश अलग से पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किये जा रहे हैं। वन विभाग प्रत्येक पंचायत शिविर दिवस पर समस्त ऐसी ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर 10-10 पौधे लगायेगा, जहाँ यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप यह सुनिश्चित करें कि प्रथम चरण का सभी पंचायत समितियों का कार्यक्रम अविलम्ब तैयार करवा कर पंचायती राज विभाग एवं जन प्रतिनिधियों को भी भिजवाया जाएं।

आपसे अपेक्षित है कि आप इस कार्यक्रम को अपने जिले में सक्रिय नेतृत्व प्रदान करें एवं समस्त विभागों में समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को पूर्ण सफल करने की दिशा में प्रयास करें। उक्त कार्यक्रम की समय-समय पर माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा भी समीक्षा की जायेगी। इस कार्यक्रम से आप अपने क्षेत्र के अधिकाधिक जन प्रतिनिधियों को भी जोड़ने का प्रयास करें एवं पिछले तीन वर्षों में ग्राम पंचायतों को विभिन्न विकास योजनाओं में आवंटित की गई राशि का विवरण भी क्षेत्र के माननीय सांसद/विधायकगण को उपलब्ध करावें, ताकि वे भी प्रगति की समीक्षा कर सकें। कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।

पंचायती राज विभाग द्वारा समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अपने पत्र क्रमांक 1368 दिनांक 01-06-16 द्वारा ग्राम पंचायत भवनों एवं अटल सेवा केन्द्रों के बाहर विभाग की योजनाओं में पंचायत को आवंटित/व्यय राशि का विवरण वॉल पेन्टिंग पर अंकित कर प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किये गये थे। ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि यह कार्य अभी ठीक ढंग से सम्पादित नहीं किया गया है तथा आपके स्तर से भी इसकी कोई समीक्षा नहीं की जा रही है। अतः न केवल ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं बल्कि अन्य समस्त विभागों में पंचायत हेतु आवंटित बजट एवं उससे किये गये कार्यों का विवरण वॉल पेन्टिंग के माध्यम से ग्राम पंचायतों के अटल सेवा केन्द्रों पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।

  
(ओ.पी.मीश्रा)  
मुख्य सचिव